158

संख्या– /XXVII(7)30(1)/08

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर 2013

विषयः वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–395 /XXVII/(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत/संशोधित होने की दशा में वेतन–निर्धारण विषयक है, जिसमें उल्लेख है कि यदि संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन बैण्ड में भी परिवर्तन हो रहा है, तो केवल वेतन बैण्ड परिवर्तित होगा तथा ग्रेड वेतन/पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था में दिनाक 01.01.2006 अथवा उसके बाद की किसी तिथि से उच्चीकरण/संशोधन अर्थात् किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन)परिवर्तित होने की दशा में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो भाग–2 से 4 के मूल नियम–23(1)के अनुसार संबंधित पद धारकों को विकल्प का अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनका वेतन कम निर्धारित होने की भी संभावना हो सकती है।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त ऐसे मामलों में, जहाँ वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) का उच्चीकरण/संशोधन दिनाक 01.01.2006 अथवा उसके पश्चात् की किसी तिथि से लागू किया जाय, वहाँ श्री राज्यपाल विकल्प की सुविधा एवं वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) विकल्प की सुविधा:–
(क) ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित निर्णय के कम में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर संबंधित पद धारक द्वारा, उच्चीकरण/संशोधन की तिथि अथवा अपनी अगली/अनुवर्ती वेतन–वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु, अपना विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) इसी प्रकार ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित जो शासनादेश पूर्व में ही निर्गत हो चुके हैं,उनसे आच्छादित पदधारकों, जिन्हें पूर्व में यदि विकल्प की सुविधा अनुमन्य न हो सकी हो, द्वारा भी इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपना विकल्प, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ग) उपर्युक्तानुसार एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के प्रसंग में वेतन–निर्धारण हेतु अन्तिम होगा और उनके विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिक के वेतन में अन्तर की स्थिति "पारस्परिक वेतन मे विसंगति" नहीं मानी जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त न होने की दशा मे उच्चीकरण/संशोधन लागू होने के तिथि को ही, उनका विकल्प मानते हुए वेतन–निर्धारण किया जायेगा, जिसमें परिवर्तन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) <u>वेतन–निर्धारण की प्रकियाः–</u>

(क) **दिनांक 01.01.2006 से उच्चीकरण/संशोधनः–**यदि वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) में उच्चीकरण/संशोधन पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की तिथि 01.01.2006 से ही काल्पनिक अथवा वास्तविक रूप में प्रभावी किया गया हो, तो यह मानते हुये कि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) निष्प्रभावी (अकारक) हो गया है और जिसका स्थान यथा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) ने उसी तिथि (01.01.2006) से ले लिया है, संबंधित कार्मिक का वेतन उसके विकल्प के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6 में निहित व्यवस्था के क्रम में सुसंगत फिटमेंट तालिका (यथा संशोधित) अथवा किसी मामले में उच्चीकरण/संशोधन के फलस्वरूप बाद में जारी की गयी फिटमेंट तालिका (यथा स्थिति) के अनुसार ही किया जायेगा।

(ख) **दिनांक 01.01.2006 के बाद की तिथि से उच्चीकरण/संशोधनः–** यदि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त शासनादेश दिनांक17.10.2008 (यथासशोधित) में निहित व्यवस्था/फिटमेंट तालिका के अनुसार वेतन–निर्धारण हो जाने के बाद अर्थात् दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना मे किसी पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किया गया हो, तो उस स्थिति में उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत संबंधित पदधारक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अथवा उसके विकल्प के अभाव में ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से माने गये विकल्प के आधार पर वेतन का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः–

(एक) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि से ही वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने अथवा निर्धारित अवधि के बाद उसका विकल्प उक्तानुसार मान लिये जाने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि को उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन और तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड अनुमन्य होगा किन्तु वेतन–बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा :

परन्तु,

यदि पूर्व से प्राप्त वेतन–बैण्ड में वेतन उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7)सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड –वेतन से कम होता है, तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन–निर्धारण के पश्चात् उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन में अगली वेतन वृद्धि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं उसके क्रम में अग्रेतर शासनादेश संख्या–27/XXVII(7) (स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 6 माह की अर्हकारी सेवा–अवधि पूरी होने के बाद ही देय होगी।

(दो) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि के बाद पड़ने वाली अपनी (पूर्व की) वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन–निर्धारण नहीं किया जायेगा अर्थात वेतन–बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत रहेगा, बल्कि उसके विकल्प के आधार पर उसकी वेतन–वृद्धि की तिथि को पूर्ववत् सामान्य वेतन–वृद्धि देते हुये वेतन–बैण्ड में आगणित वेतन और उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन, तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड के साथ अनुमन्य होगा :

परन्तु,

यदि इस प्रकार आगणित वेतन–बैण्ड में वेतन ऐसे उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7) सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड–वेतन से कम होता है, तो उसे भी उस स्तर तक बढाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कर्यालयाध्यक्ष/राज्य आन्तरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय आडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तदनुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–697/xxvii(7)30(i)/08तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें –सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव